भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.675
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि

675. श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास से इस क्षेत्र में अनेक लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय देश में अपने विकास और स्केल में तेजी लाने में समर्थ होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर ओडिशा में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में इसके अंशदान को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र हेतु कोई दृषिकोण निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस सबंध में कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में अनेक खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय कार्य कर रहे हैं जहां अपनी सुविधाओं और मशीनरी का नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप उन्नयन करने के लिए प्राय: अपेक्षित संसाधानों का अभाव होता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन मुद्दों से लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए बाजार में प्रवेश करना और बड़ी, अधिक स्थापित कंपिनयों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है; और

(च) यदि हां, तो विशेष रूप से ओडिशा में इन मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या सफलता मिली है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क), (ख) और (ग) : सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निर्यात में अपने योगदान के मामले में खाद्य प्रसंस्करण (एफपी) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान, एफपी सेक्टर लगभग 7.26% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है। एफपी क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) भी वर्ष 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख करोड़ हो गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में केंद्रीय क्षेत्र योजना, अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से, रोजगार के अवसर पैदा करके, कृषि उपज की बर्बादी को कम करके, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाकर और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास और वृद्धि के लिए फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में मदद करता है।

एमओएफपीआई 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) भी लागू कर रहा है।

एमओएफपीआई ने वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों की दृश्यता में सुधार करने के लिए वर्ष 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) भी शुरू की है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एमओएफपीआई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

i. सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस के दायरे से छूट देना।
ii. क्षेत्रीय नियमों के अधीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति।
iii. भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
iv. कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए कम जीएसटी ; विभिन्न अध्याय शीर्षों/उप-शीर्षों के अंतर्गत 71.7% से अधिक खाद्य उत्पाद 0% और 5% के निचले कर स्लैब में शामिल हैं।

(घ), (ङ) और (च): एनएसएसओ वर्ष 2015 रिपोर्ट के अनुसार, देश में असंगठित एफपी क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शामिल हैं जो अपंजीकृत और अनौपचारिक हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर के मामले में सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों की श्रेणी में आती हैं। इन इकाइयों को ऋण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और मशीनरी, ब्रांडिंग और विपणन और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता तक पहुंच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, एमओएफपीआई देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए चल रहीं है।इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और क्षेत्र के उन्नयन को बढ़ावा देना है।

पीएमएफएमई योजना ओडिशा सहित सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। 31 जनवरी 2024 तक , पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रगति हुई :

(i) ओडिशा में स्वीकृत 1175 ऋण सहित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लाभ के लिए 72,556 ऋण स्वीकृत किए गए।
(ii) 236704 एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी के रूप में 771.12 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें ओडिशा में 23,400 एसएचजी सदस्यों के लिए 67.91 करोड़ रुपये शामिल हैं।
(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम में 62,140 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें ओडिशा में 6439 प्रशिक्षित शामिल हैं।
(iv) अब तक 14 ओडीओपी ब्रांड और 166 उत्पाद भी सफलतापूर्वक लॉन्च किए जा चुके हैं। इस संबंध में ओडिशा राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****